झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लातेहार।

नामांकन सूचना

झारखण्ड सरकार के द्वारा SCVT के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निदेशालय पत्रांक 251 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा जिला स्तर पर गठित कमिटी के द्वारा शैक्षणिक सत्र–2017–18–19 में नामांकन किया जायेगा। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में केवल महिला उम्मीदवारों का ही नामांकन किया जायेगा। अंकित व्यवसायों में प्रवेश के निमित्त इच्छुक महिला उम्मीदवारों से अनुसूची:–'क' के अनुसार हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र 01 जुलाई 2017 तक आमंत्रित किए जाते हैं:–

1. प्रवेश पाने हेतु शैक्षणिक योग्यता DGT द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समरूप होगा, जो निम्न व्यवसाय के लिए निम्नवत है:–
   (क) स्वींग टेक्नॉलाजी के लिए आठवाँ (8वाँ) उत्तीर्ण।
   (ख) इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक, कोपा, सूचना प्रावैधिकी, स्टेनोग्राफी (हिन्दी/अंग्रेजी) – **Passed 10th class Examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.**
   (ग) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।
2. आयु अहर्त्ता:– (क)– 01 जुलाई 2017 को न्यूतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
   (ख)– सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैध होगी। आठवीं (8वीं) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि वैध होगी।
3. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।
4. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क के रूप में 100/–(सौ रूपये) मात्र का पोस्टल आर्डर देना होगा, जो प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लातेहार के पदनाम से भुगतेय होगा। किसी भी शर्त पर यह राशि नगद राशि के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा नहीं लौटायी जायेगी। पोस्टल आर्डर एक माह के अन्दर का होना चाहिए।
5. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षार्थियों को 50/– (पचास रूपये) मात्र कौशन मनी (अवधान राशि) के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई भी सामान खो जाने या सामान को जानबूझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।
7. आरक्षण अहर्त्ता:–
   (क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का0–5886/राँची दिनांक–21.09.11 के अनुसार रहेगा।
   (ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणा–गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जायेगा।
   (ग) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत सीट सुपरन्यूमरी है अर्थात कुल सीट = स्वीकृत सीट+स्वीकृत सीट का 30 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें।
   (घ) सुपरन्यूमरी सीट की एक–एक सीट दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए (किसी भी वर्ग के) आरक्षित है।
   (ड़) बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लातेहार में नामांकन हेतु प्रशिक्षणार्थियों का कोटिवार सीटों का विवरणी

S. No	Institute Name	Period	Name of the Trade	स्वीकृत सीट का विभाजन						सुपरन्यूमरी सीट			Total Seat
				स्वीकृत सीट	Gen	ST	SC	BC-I	BC-II	PH	SMQ	Super Numeric ST/SC	
					50%	29%	21%	0%	0%				
1.	म0औ0प्र0 संस्थान, लातेहार	दो वर्षीय कोर्स	इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक (एक यूनिट)	16	8	5	3	0	0	1	1	3	21
			सूचना प्रावैधिकी (एक यूनिट)	16	8	5	3	0	0	1	1	3	21
		एक वर्षीय कोर्स	स्टेनोग्राफी (हिन्दी) (एक यूनिट)	16	8	5	3	0	0	1	1	3	21
			स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी)(एक यूनिट)	16	8	5	3	0	0	1	1	3	21
			कोपा (एक यूनिट)	16	8	5	3	0	0	1	1	3	21
			स्वींग टेक्नॉलाजी (एक यूनिट)	16	8	5	3	0	0	1	1	3	21

8. आवासीय अहर्त्ता :– सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं, जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवास के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का 4650 दिनांक 02जून 2016 (संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.16) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. जाति आधारित अहर्त्ता :– नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को समक्ष पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वपतायुक्त लिफाफा डाक टिकट (निबंधित) सहित संलग्न करना है।

पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ **निबंधित डाक/Speed Post से प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डुरूआ, लातेहार,** पिन–829207 को इस तरह भेंजे ताकि 01जुलाई 2017 तक प्राप्त हो जाय। अंति तिथि के पश्चात् या आधे–अधूरे भरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट :–अभ्यर्थी का नामांकन से संबंधित विवरणी एवं फार्म (अनुसूची 'क') जिला के **Website** www.latehar.nic.in से **Download** किया जा सकता है या महिला औ0प्र0संस्थान, लातेहार के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी,
महिला औ0प्र0संस्थान, लातेहार।

झारखण्ड सरकार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सूचना

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सितम्बर 2017 से प्रारंभ होन वाले सत्र में नामांकन हेतु इच्छुक महिला उम्मीदवारें से अनुसूचि – "क" के अनुसार हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र दिनांक 01 जुलाई 2017 तक आमंत्रित किए जाते हैं:–

अनुसूचि – "क"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट फोटो चिपकायें।

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :–..
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):–..
   (हिन्दी में):–..
3. (क) पिता का नाम :– ....
   (ख) अभिभावक का नाम :–..
4. पिता/अभिभावक का पेशा:–..
5. उम्मीदवार का पूरा पता :–..
   (क) स्थायी पता:–..
   (ख) थाना:–.................................गृह जिला.................................पिन न0.........................
   (ग) पत्राचार का पता :– ....
   ....
6. उम्मीदवार का निकटम रेलवे स्टेशन :–..
7. जन्म तिथि(प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :–..
8. दिनांक 1जुलाई 2017 को आयु..
9. शैक्षणिक योग्यता :–
   कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें:–

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष(वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1.									
2.									
3.									
4.									

नोटः– आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से सबंधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं?
    :–..
11. क्या उम्मीदवार भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं?..
12. क्या उम्मीदवार दिव्यांग है?..
13. पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के व्यस्क एवं नाबालिक दोनों की अलग–अलग संख्या:–..
14. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क(100/–रूपये मात्र) के रूप में संलग्न पोस्टल आर्डर(एक महीने के अन्दर का होना चाहिए) की संख्या निर्गत होन की तिथि तथा राशिः–..
15. अनुलग्न की विवरणीः– 1)...........................2)...................................3)...............................4).....................
    5)..................................6)............................7)

मैं ....पिता का नाम...प्रमाणित करती हूँ/करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः– (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हों) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(2) दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष /जिला के असैनिक शैल्य चिकित्सा (Civil Surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जोयेगी।

8/6/17

निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी,
महिला औ0प्र0संस्थान, लातेहार।